कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला-सिंगरौली (म०प्र०)

क्रमांक 67/प्रवाचक/2020 सिंगरौली, दिनांक 6 जून, 2020

प्रति,

संयुक्त संचालक,
संजय टाइगर रिजर्व,
सीधी (म0प्र0)

विषय:- वन मंडल सिंगरौली के वन परिक्षेत्र पूर्व सरई के कक्ष क्रमांक RF-338, RF-358 एवं PF- 315 के रकबा 226.349 हे0 वन भूमि तथा तहसील सरई के अंतर्गत विभिन्न खसरों की 32.89 हे0 राजस्व वन भूमि को मिलाकर कुल 259.239 हे0 भूमियों में सुलियरी ओपन कास्ट पद्धति से कोयला उत्खनन कार्य- द आंध्र प्रदेश मिनेरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का वन भूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव।

सन्दर्भ:- आपका पत्र क्रमांक मा0चि0/2020/1836 सीधी दिनांक 16.4.2020

कृपया सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करेंगे। सुलियरी कोल माइन से प्रभावित वन एवं राजस्व वन भूमियों के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चितरंगी तहसील के राजस्व नरीक्षक मण्डल कोरावल अंतर्गत 6 ग्रामों की कुल 259.239 हेक्टर राजस्व भूमियों को वन विभाग को हस्तांतरित किया जाना प्रस्तावित किया गया था। उपरोक्तानुसार प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रवंध) मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-1/FP/MP/MIN/28619/2017-1051 दिनांक 16.3.2020 के माध्यम से भारत शासन को भेजा गया जहाँ से इस आशय की आपत्ति की गई है कि क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिए प्रस्तावित भूमियों में से कुछ अंश रकबा पूर्व से ही वन भूमियाँ हैं। वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु अंतरित किए जाने वाली प्रस्तावित भूमियों के संवंध में विहित प्रपत्र पर जानकारी चाही गई है। तद्नुसार जानकारी विहित प्रपत्र में इस पत्र के साथ अनुलग्नक –'अ' संलग्न की जा रही है।

2- उपरोक्त आपत्ति के परिप्रेक्ष्य में चितरंगी तहसील के राजस्व निरीक्षक मण्डल कोरावल में ही ग्राम खरखोली में स्थित 28.88 हे0 एवं ग्राम करौंदिया में स्थित 50.81 हेक्टर मिलाकर कुल 79.69 हे0 म0प्र0 शासन, राजस्व विभाग की भूमियों का चयन भी किया गया है जिनकी विस्तृत जानकारी इस पत्र के साथ अनुलग्नक- 'ब' आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न की जा रही है। उक्त भूमियाँ भी वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त हैं। पूर्व में प्रस्तावित 259.239 हेक्टर भूमियों में शामिल वन विभाग की भूमियों के बराबर भूमियाँ उक्त चयनित 79.69 हेक्टर भूमियों में से वन विभाग को अंतरित की जा सकेंगी। उक्त भूमियों के

(क्रमशः)

संवंध में वन संरक्षरण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी शर्तो के अधीन कार्यवाही करने में इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं होगी। अतएव तद्नुसार आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नः- उक्तानुसार।

कलेक्टर
जिला-सिंगरौली(म0प्र0)

पृष्ठांकन क्रमांक 68/प्रवाचक/2020 सिंगरौली, दिनांक 6 जून, 2020

प्रतिलिपिः-

1- वन मंडलाधिकारी, वन मंडल सिंगरौली
2- उपखण्ड अधिकारी, चितरंगी जिला सिंगरौली
3- मुख्य महाप्रवंधक, एपीएमडीसी सुलियरी काल माइन सिंगरौली

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

05/06/2020
कलेक्टर
जिला-सिंगरौली(म0प्र0)